

रजिस्टर्ड नं० ५० डी०—४

लाइसेन्स नं० ८८५० पी०—४।

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीप्रेसेन्ट)



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिषिष्ठ

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 सितम्बर, 1982

भाद्रपद 6, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2649 / सतह-वि० १- (क) १८-१९८२

लखनऊ, 10 सितम्बर, 1982

### अधिसूचना

#### विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तरप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 9 सितम्बर, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1982<sup>१</sup> के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थे इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के तैतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम  
और प्राप्ति

(२) यह 19 जून, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
19 सन् 1950  
की धारा 4 का  
संशोधन

निरसन और  
अपवाद

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा वढ़ा दी जायगी, शर्थात् :—

"(9) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार पचास करोड़ रुपये की और धनंराजि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त हो।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 22  
सन् 1982

आज्ञा से,  
गंगा बहादुर सिंह,  
सचिव।

No. 2649(2)/XVII-V—I(Ka)-18-1982.

Dated Lucknow, September, 10, 1982

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Akasmikata Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 9, 1982.

### THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1982

[U. P. ACT NO. 23 OF 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

#### AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 19, 1982.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely :

"(9) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1982, withdraw a further sum of fifty crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund."

3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 1982 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
G. B. SINGH,  
Sachiv.

पी ०८०५०५०—०५० ११७ सांविकार—१३-९-८२—(१८२९)—१९८२—८५० (मेक०)

U. P. Ordinance no.  
of 1982.